किरेन रीजीजू
KIREN RIJIJU

सत्यमेव जयते

मंत्री
विधि एवं न्याय
भारत सरकार
MINISTER
LAW AND JUSTICE
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

"हिंदी दिवस" के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

हिंदी सदियों से हमारी राष्ट्रीय एकता का सूत्र रही है। इसीलिए हमारे देश के महापुरुषों ने सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। यह सर्वविदित है कि राष्ट्र के नव-निर्माण में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी भाषा, शासन-तंत्र और जनता के बीच सेतु का काम करते हुए अधिकाधिक जन-भागीदारी सुनिश्चित कराती है। स्वतंत्रता के पश्चात दिनांक 14 सितम्बर, 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था तभी से इस दिन को हम "हिंदी दिवस" के रूप में मनाते हैं।

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हिंदी दिवस के अवसर पर विधि कार्य विभाग में 'हिंदी माह' का आयोजन किया जा रहा है तथा इस दौरान हिंदी से संबंधित अनेक प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में भारत सहित पूरा विश्व कोरोना जैसी भयानक महामारी की चुनौती का सामना कर रहा है। अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही यथासंभव हिंदी से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करें।

मंत्रालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हिंदी दिवस के अवसर पर यह संकल्प लें कि वे अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करेंगे और अपने सहकर्मियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। विधि कार्य विभाग में नीतियों, कार्यक्रमों और प्रचार संबंधी कार्यकलापों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का यथासंभव प्रयास किया जाए। संघ की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के भी भरपूर प्रयत्न किए जाएं।

मुझे विश्वास है कि इन आयोजनों में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग से हिंदी में कार्य करने का अच्छा वातावरण बनेगा और हम अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करते हुए अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए तत्परता से आगे बढ़ेंगे।

जय हिंद !

(किरेन रीजीजू)

नई दिल्ली,
हिंदी दिवस, 14 सितम्बर, 2021

402, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001, दूरभाष : +91-11-2338 7557, 2338 6976, 2338 6974, फैक्स : +91-11-2338 4241
402 'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001, Tel. : +91-11-2338 7557, 2338 6976, 2338 6974, Fax : +91-11-2338 4241

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल
PROF. S.P. SINGH BAGHEL

सत्यमेव जयते

राज्य मंत्री
विधि एवं न्याय
भारत सरकार

**MINISTER OF STATE FOR
LAW & JUSTICE
GOVERNMENT OF INDIA**

संदेश

हम सबको एक बहुभाषी देश का नागरिक होने पर गर्व है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं लेकिन हिंदी ही वह भाषा है जो सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। हिंदी विश्व की सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक है। साथ ही देश में संपर्क भाषा की भूमिका निभाते हुए हिंदी हमारे विविधतापूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। इसीलिए दिनांक 14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था। अतः हम 14 सितम्बर को ''हिंदी दिवस'' के रूप में मनाते हैं।

हिंदी अत्यंत सरल एवं सहज भाषा है। इसमें देशी और विदेशी भाषाओं के तत्वों को आत्मसात करने की अपार क्षमता है। अपनी सहजता और बोधगम्यता के कारण देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हिंदी के प्रचार-प्रसार में वृद्धि हुई है। हमारी तेजी से बढ़ती हुई आधुनिक अर्थव्यवस्था में विकास के लाभों को शीघ्र और प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। अतः यह आवश्यक है कि हम अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाएं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के उच्च न्यायालयों के निर्णयों तथा आदेशों को हिंदी में भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

यह प्रसन्नता की बात है कि ''हिंदी दिवस'' के अवसर पर विधि कार्य विभाग एवं उसके शाखा सचिवालयों तथा विधि आयोग और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठों में अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हिंदी माह मनाया जा रहा है और विविध हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

''हिंदी माह'' के अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें। मेरा विश्वास है कि एक बार आप हिंदी में कार्य करना आरम्भ कर देंगे तो कुछ ही दिनों में आपको हिंदी का प्रयोग करना सरल व सहज लगने लगेगा।

मैं विधि एवं न्याय मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

14/9/21
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

नई दिल्ली
हिंदी दिवस, 14 सितम्बर, 2021

Office Add.: Room No. 401, 'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001. Phone : +91-11-23381932, 23384204, 23382881, FAX : 23381932
Residence Add. : 7, K. Kamraj Lane, New Delhi-110011, Phone : +91-11-21410812, 21410813, Fax : 0+91-11-23070113
E-mail : mos-mlj@gov.in

अनूप कुमार मेंदीरत्ता
सचिव
Anoop Kumar Mendiratta
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

संदेश

हिंदी एक उन्नत, समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा है तथा यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सूत्र है। किसी भी लोकतंत्र में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए जनता और शासन के मध्य जन भाषा ही संपर्क भाषा के रूप में सार्थक भूमिका अदा कर सकती है। हिंदी की इसी विशेषता और लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए भारत की संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस महत्वपूर्ण दिवस पर हर वर्ष "हिंदी दिवस" का आयोजन किया जाता है।

यह प्रसन्नता का विषय है कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी "हिंदी दिवस" के अवसर पर विधि कार्य विभाग में दिनांक 01 सितम्बर, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक "हिंदी माह" मनाया जा रहा है और विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। विभाग के शाखा सचिवालयों तथा विधि आयोग और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठों में भी विविध कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।

"हिंदी माह" मनाने का उद्देश्य न केवल अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण, मसौदे आदि तैयार करने के लिए प्रेरित करना है बल्कि उनमें मूल रूप से हिंदी में काम करने की आदत डालना भी है। मुझे विश्वास है कि हम अपनी उत्साहपूर्ण सक्रिय भागीदारी से आयोजन को सफल बनाएंगे और अपना अधिक-से-अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करेंगे।

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(अनूप कुमार मेंदीरत्ता)

नई दिल्ली
हिंदी दिवस, 14 सितम्बर, 2021

चतुर्थ तल, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली–110 001
4th Floor, Shastri Bhawan, Dr. R.P. Road, New Delhi-110 001
Tel. : +91-11-23384617, 23387553, Fax : +91-11-23382733, E-mail : secyoffice-ld@gov.in